BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(Formerly Bhopal University, Bhopal)
Office: Hoshangabad Road, Bhopal-462026

S.No. 2091 /प्रशा/19

Bhopal, Date 19/11/2019

Empanelment of candidates for guest faculties

Applications on plain paper are invited from suitable candidates for empanelment of Guest faculties in the various teaching departments. Empanelled candidates can be invited as Guest faculties subject to the requirement of the Departments. The University reserves the right to engage or not to engage the candidates enlisted in the panel. Complete application along with relevant documents should be submitted to the respective Heads of the Departments latest by 28.11.19 ~~.....~~2019. For more details please visit the University website www.bubhopal.nic.in.

REGISTRAR

BARKATULLAH UNIVERSITY, BHOPAL

(Formerly Bhopal University, Bhopal)
Office: Hoshangabad Road, Bhopal-462026

S.No. 2092/प्रशा/19 Bhopal, Date. 19/11/2019

EMPANELMENT OF CANDIDATES FOR GUEST FACULTIES

Applications are invited from suitable candidates for empanelment of Guest faculties in the teaching departments. Qualifications as per the norms of the UGC or the Regulatory body as applicable. Remuneration/Payment will be made as per the University rules. The rules approved by the executive council shall be applicable for the empanelment of the candidates.

This advertisement is made for the empanelment and not for appointment. Empanelled candidates, however, tan be invited as Guest faculties subject to the requirements of the Department/institutes. The University reserves the right to engage or not to engage the enlisted candidates as Guest faculties.

Desiring candidates should apply on plain paper along with their complete Biodata and supportive attested documents to the respective. Heads of the departments (HOD) or Director of the institution in following manner.

S. No.	Subject	Address to	Department/Institutes
1.	Arabic	HOD	Arabic
2.	English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Linguistics	HOD	Comparative Languages and Culture
3.	Persian	HOD	Persian
4.	Commerce	HOD	Commerce
5.	Education (B.Ed.), Master of Education	HOD	Continuing Education and Extension
6.	Yogic Sciences	HOD	Yoga
7.	Law, English, Hindi, French, Economics, Pol. Sciences, History	HOD	Legal Studies and Research
8.	Biotechnology, Bioinformatics	HOD	Biotechnology

9.	Biochemistry, Genetics	HOD	Biochemistry, Genetics
10.	Bioscience	HOD	Bioscience
11.	Environmental Science, Limnology	HOD	Environmental Science, Limnology
12.	Microbiology	HOD	Microbiology
13.	Applied Aquaculture, Zoology	HOD	Applied Aquaculture, Zoology
14.	Physical Education	HOD	Physical Education
15.	Computer Sciences, Information Technology	HOD	Computer Sciences & Application
16.	Earth Science, Geo Information Remote Sensing	HOD	Earth Science
17.	Electronics	HOD	Electronics
18.	Physics	HOD	Physics
19.	Psychology	HOD	Psychology
20.	Economics, Geography	HOD	Economics, Geography
21.	Sociology, Social Work	HOD	Sociology
22.	Women Studies	HOD	Women Studies
23.	Management (MBA)	HOD	C.R. Institute of Management
24.	Pharmacy	HOD	Pharmacy
25.	Civil Engineering, Computer Science & Engineering, Electronics & Comm. Engineering, Information Technology, Mechanical Engineering, Computer Application, Material Sciences, Nanotechnology, Digital Communication, Product Design & Engg., Microwave and Millimeter waves, Applied Physics, Applied Chemistry, Industrial Mathematics, Mathematics	Dir.	University Institute of Technology

Complete applications must reach on or before 28-XI-2019 by 4.00 pm, Sparate application should be made for each department.

REGISTRAR

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

अतिथि विद्वान /आमंत्रित विद्वान विशिष्ट विद्वानों के चयन/पारिश्रमिक /यात्रा भत्ता आदि के निर्धारण हेतु प्रस्तावित विनियम/दिशा निर्देश

I अतिथि विद्वान

1. सामान्य

1.1 विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन हेतु निर्धारित वर्कलोड के अनुसार अतिथि विद्वान की व्यवस्था की जाएगी ।

1.2 अतिथि विद्वान के रुप में आमंत्रित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उनके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचारधीन नही है तथा वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवा में नही है ।इसके लिये संबंधित अतिथि विद्वान को इस आशय का नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा ।

1.3 अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत नही माने जायेंगे ।

2. **पैनल बनाने की प्रकिया**

2.1 अतिथि विद्वान के पैनल का निर्माण विज्ञापन के आधार पर किया जाएगा विज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विज्ञापन अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभयार्थियों का पैनल तैयार करने के लिये है न कि नियुक्ति के लिये । प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आवश्यकतानुसार समाचार पत्र में तथा विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा ।

2.2 अकादमिक सत्र के मध्य में पुनः आवश्यकता होने पर प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की वेबसाईट तथा संबंधित विभाग के सूचना पटल पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है ।

2.3 विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि पैनल में शामिल अभ्यार्थियों को अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने के लिये किसी प्रकार का अवसर दे अथवा न दे ।

2.4 विज्ञापन के पश्चात अभ्यर्थी संबंधित विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठयकम समन्वयक के पास अपना आवेदन समस्त आवश्यक अंकसूचियां एवं प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ अंतिम तिथि तक जमा करेंगे । अंतिम तिथि के प्श्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा ।

2.5 एक से अधिक विषयों पर पात्रता रखने वाले अभ्यार्थियों को अलग-अलग विषय हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

2.6 पैनल पूरे शैक्षणिक सत्र के लिये तैयार किया जायेगा । विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त आगे की कार्यवाही करना या नही करना, विश्वविद्यालय को अधिकारी होगा ओर इसके लिये किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नही होगा ।

3. समिति

3.1 प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी का कार्य संबंधित विभागाध्यक्ष विभाग/संकाय/विश्वविद्यालय के दो अन्य शिक्षकों के सहयोग से करेंगे । इस हेतु समिति के गठन की पूर्वानुमति कुलपतिजी से प्राप्त करनी होगी ।

3.2 पैनल तैयार करने के लिये समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

(1) विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समन्वयक - अध्यक्ष

(2) संकायध्याक्ष - सदस्य

(3) विभाग/संकाय/वि.वि. का एक शिक्षक - सदस्य

4. **अर्हता के मापदण्ड**

4.1 सामान्यतः यू.जी.सी नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित न्यनतम अर्हता अतिथि विद्वान के लिये लागू होगी ।

4.2 पैनल बनाने की प्रकिया पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगी वरियता निम्नानुसार रहेगा ।

(अ) (1) संबंधित विषय में न्यनतम 55% अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा नेट/सेट उतीर्ण ।

(2) संबंधित विषय में न्यूनतम 55%अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा नेट/सेट उतीर्ण ।

(3) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा यू. जी.सी नियमन 2009/यू.जी.सी अधिसूचना दिनांक 04मई 2016 (भारत का राजपत्र दिनांक 20 मई 2016) के अनुसार पीएच.डी उपाधि ।

(ब) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि तथा पीएच. डी उपाधि

(स) संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि

4.3 श्रेणी 'अ' (1),(2) तथा (3) में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में वरियताकम में 'ब' , 'स' एवं 'द' के अभ्यार्थियों पर विचार किया जाएगा ।

4.4 अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति एवं विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled) शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से विकलांग) अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर दी जावेगी ।

4.5 पीएच.डी उपाधि धारक अभ्यार्थी जिन्होने 19 सितम्बर 1991 के पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो,के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत के अंक होने चाहिए ।

4.6 दिनांक 11.07.2009 के पश्चात दूरस्थ माध्यम से अर्जित पीएच.डी एवं एम.फिल की उपाधि मान्य नही होगी ।

4.7 बी.यू.आई.टी , सी.आर.आई.एम. फार्मेसी, विधि शिक्ष आदि विभागों में संचालित व्यावसायिक पाठयकर्मो हेतु योग्यता निर्धारण/वरियताकम संबंधित नियामक आयोगों के मापदण्डों के अनुसार होगा ।

5. **अधिभार**

5.1 अलग-अलग श्रेणियों के अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के अभ्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांक का 10 प्रतिशत अधिभार देय होगा , इसी प्रकार विभेदक रूप से सक्षम (Differently Abled)अभ्यार्थियों को भी यह अधिभार देय होगा ।

6 **मानदेय**

6.1 कार्यालयीन आदेश 1936/प्रशा/2019 दिनांक 16/10/2019 के अनुसार अतिथि विद्वान को प्रति कालखण्ड रूपये 500/- देय होंगे एवं

6.2 किसी अतिथि विद्वान को एक कार्यदिवस में अधिकतम तीन कालखण्ड दिये जा सकते है। परन्तु एक माह में कुल मानदेय रू0 25,000/- से अधिक नही होगा, जबकि बी. यू.आई.टी., सी.आर.आई.एम. , फार्मेसी एवं विधि जैसे व्यावसायिक पाठयकर्मो के लिये मानदेय की अधिकतम सीमा रू0 30,000/- प्रति माह होगी ।

6.3 मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमा वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी ।

6.4 अतिथि विद्वान को वि.वि. के नियमानुसार वाहन भत्ता (conveyance Allowance) देय होगी ।

7. **निरन्तरता**

7.1 अगले सत्र में पैनल तैयार किये जाने तक विभागाध्यक्ष/निर्देशक /समन्वयक चाहे तो कुलपतिजी से अनुमोदनोरान्त पूर्व पैनल को निरन्तर रख सकते है ।

II. **आमंत्रित विद्वान**

1 विश्वविद्यालयमें स्नातकोत्तर एवं एम.फिल पाठ्यकर्मो के साथ 'शोध कार्य भी संचालित है। अतः विषय के विशिष्टीकरण (Specialization) के आधार पर विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समनव्यक आवश्यकतानुसार कुलपतिजी के अनुमोनोपरान्त पेशेवर/शैक्षणिक/शोध संस्थाओं में कार्यरत विद्वान /शिक्षकों वैज्ञानिकों /विशेषज्ञों अथवा सेवानिवृत्त शिक्षकों/विशेषज्ञों को आमंत्रित विद्वान के रूप में विभाग में व्याख्यान केलिये आमंत्रित कर सकंगे ।

2. आमंत्रित विद्वानों/शिक्षकों /विशेषज्ञों को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 1000/- मानदेय देय होगा,साथ ही नियमानुसार यात्रा भत्ता भीदेय होगी ।

3. मानदेय की राशि एवं अधिकतम सीमावि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी ।

III **विशिष्ट विद्वान**

1 छात्र, विश्वविद्यालय , एवं 'समाज' - तीनों को जोड़ते हुए विश्वविद्यालय द्वारा व्यापक स्तर पर विशिष्ट व्याख्यानों का समय- समय पर आयोजन किया जायेगा, जिसकी व्यवस्था संबंधित संकायाध्यक्ष करेंगे । विद्वानों एवं विषयों का चयन कुलपतिजी से परामर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त ही किया जायेगा ।

2 विशिष्ट व्याख्यान के लिये आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वान को प्रति व्याख्यान हेतु रू0 5000/- मानदेय देय होगा ।

3 आमंत्रित किये जाने वाले विशिष्ट विद्वानों को विश्वविद्यालय अतिथि माना जाएगा तथा उनकी यात्रा भत्ता एवं स्थानीय आतिथ्य विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा ।

4 मानदेय की राशि वि.वि. द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित दर के अनुसार लागू होगी ।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल